

# जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली

क्रमांक/सामान्य/2026-27/265

दिनांक :- 25/06/2026

## सेवानिवृत्त कार्मिक हेतु विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली में संविदा पर वाहन चालक पद पर सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवाएं निम्नानुसार ली जानी हैं:-

| क.सं. | प्राधिकरण का नाम                | वाहन चालक के पद की संख्या |
|-------|---------------------------------|---------------------------|
| 1     | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली | 1                         |

राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 17 (10) डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 व 14.11.2018 एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक 453 दिनांक 24.06.2026 के अनुक्रम संविदा पर वाहन चालक की तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त पद पर सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवाएं ली जानी हैं।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक की संविदा सेवाएं दिनांक 01.07.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिये संविदा पर सेवाएं देने के इच्छुक कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दरतावेज के आवेदन कर सकेंगे। उक्त संवर्गों की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अधीन प्रभावी रहेंगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के अनुसार ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित वाहन चालक के पद पर उक्त शर्तों के अधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक कर्मचारी दिनांक 30.06.2026 को 1.00 पीएम तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय, पाली की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवश्यक निर्देशों बाबत जिला न्यायालय, पाली की वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
(अपर जिला न्यायाधीश), पाली

दिनांक :- 25/06/2026

क्रमांक/सामान्य/2025-26/6602-6613

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली।
3. जिला कलेक्टर, पाली को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने बाबत।
4. तालुका विधिक सेवा समिति, बाली/सोजत/जैतारण/सुमेरपुर/बर/देसुरी/मा.जं.
5. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली को जिला न्यायालय, पाली की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
(अपर जिला न्यायाधीश), पाली